1.

राजस्थान स्टेट बेवेरेज निगम लिमिटेड, जयपुर

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2013–14 (दिसम्बर 2013 तक)

राजस्थान स्टेट बेवेरेज निगम लिमिटेड, जयपुर

1. प्रस्तावना:

1.1 राजस्थान स्टेट बेवेरेज निगम लिमिटेड का गठन राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005- 06 में किया गया। इस निगम को भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर के क्रय एवं विक्रय का एकाधिकार दिया गया। निगम का गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत हुआ। निगम ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियां दिनांक 01.04.2005 से प्रारम्भ की।

1.2 निगम द्वारा 01.04.2013 से 31.12.2013 तक 39 विनिर्माताओं द्वारा प्रस्तुत विभिन्न 374 ब्राण्डों की दरें तय की गई। निगम द्वारा किसी भी ब्राण्ड की दरों का निर्धारण, निर्माता/सप्लायर द्वारा प्रस्तुत विभिन्न राज्यों को प्रस्तुत एक्स डिस्टीलरी प्राईस में से न्यूनतम को आधार मानकर, उसमें आबकारी शुल्क एवं विभिन्न मदो में वास्तविक खर्चों के पुनः भुगतान को मध्यनजर रखते हुए किया जाता हैं। उपरोक्त निर्धारित दरों में निगम का 0.33 प्रतिशत मुनाफा(मार्जिन मनी) भी सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार एक्स डिस्टीलरी प्राईस, वास्तविक लागत का पुनर्भुगतान,आबकारी शुल्क एवं निगम के लाभ को सम्मिलित करते हुए ब्राण्ड विशेष का विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है।

1.3 निगम के विक्रय मूल्य में रिटेलर/अनुज्ञाधारी के मुनाफा, परमिट एवं स्पेशल वेण्ड फीस को सम्मिलित करते हुए भारत निर्मित विदेशी मदिरा (बोतल एवं अध्धे पर 20%) , (पव्वे पर 23%) मुनाफा देकर अधिकतम खुदरा मूल्य का निर्धारण किया गया एवं बीयर पर सभी साईज में 23% मुनाफा देकर अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारण किया गया।

1.4 समस्त 374 ब्राण्डों का विक्रय राज्य के 33 जिलो में स्थित 40 डिपो के द्वारा खुदरा अनुज्ञाधारियों को किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2013–14 (दिसम्बर 2013) तक के दौरान 2701.32 करोड रूपये की भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर का विक्रय किया गया। वित्तीय वर्ष 2012 13 के दौरान मदिरा एवं बीयर विक्रय राशि रू. 3122.13 करोड पर 2 प्रतिशत (मुनाफे) के परिणाम स्वरूप निगम को 61.58 करोड की आय प्राप्त हुई।

1.5 सप्ताह के गुरूवार से बुधवार के मध्य राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में स्थित डिपो के माध्यम से विक्रित मदिरा एवं बीयर का भुगतान सम्बन्धित निर्माताओ/सप्लायर्स को आगामी सोमवार को मुख्यालय द्वारा आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जाता हैं।

1.6 वित्तीय वर्ष 2012–13 दौरान निगम द्वारा एकत्रित 2% मुनाफा (मार्जिन मनी) मे से राज्य सरकार को 43.79 करोड रू. अनुज्ञा शुल्क एवं 19.00 करोड रू प्रिविलेज शुल्क के रूप में भुगतान किया गया।

1.7 इस प्रकार निगम के गठन के परिणाम स्वरूप जहां राज्य सरकार को अनुज्ञा शुल्क एवं आबकारी शुल्क वसूली का लक्ष्य प्राप्त हुआ, वहीं दूसरी ओर पूरे राज्य में भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर के मूल्यों में एकरूपता बनी रही।

2. निगम की प्रशासनिक संरचना:—

2.1 राजस्थान में निगम का मुख्यालय जनपथ, "डी" ब्लॉक, प्रथम तल, वित्त भवन, जयपुर में अवस्थित है, एवं आबकारी आयुक्त निगम के पदेन प्रबन्ध निदेशक एवं विभागाध्यक्ष है। आबकारी आयुक्त का मुख्यालय उदयपुर होने की वजह से दिन प्रतिदिन का कार्य संचालन कार्यकारी निदेशक करते है।

2.2 कार्यकारी निदेशक के सहयोग के लिए तीन महाप्रबंधक पदस्थापित हैं:
(i) महाप्रबंधक (प्रशासन) (ii) महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(iii) महाप्रबंधक (ऑपरेशन)

2.3 महाप्रबंधक (प्रशासन) के सहयोग के लिए प्रबंधक (प्रशासन) तथा उपमहाप्रबन्धक (एम.आई.एस), महाप्रबंधक (ऑपरेशन) के सहयोग के लिए प्रबन्धक (ऑपरेशन) महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) के सहयोग के लिए उपमहाप्रबन्धक (वित्त) तथा प्रबन्धक इत्यादि पद स्वीकृत हैं।

2.4 राज्य के 33 जिलों में 40 डिपो कार्यरत है। प्रत्येक डिपो पर 4 अधिकारी/कर्मचारी के पद स्वीकृत है:—
1. डिपो मैनेजर 2. क0 लेखाकार
3. सुपरवाईजर (संख्या—2)

2.5 निगम में सभी स्वीकृत पदों को राजकीय निर्णयानुसार प्रतिनियुक्ति एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा नियुक्ति से भरा जाता है। निगम में स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार हैं:—

क्र.सं.	पद का नाम	वेतन श्रृंखला		स्वीकृत पद
		पे बेण्ड	ग्रेड पे	
1.	प्रबन्ध निदेशक एवं आबकारी आयुक्त, IAS	—	—	1
2.	कार्यकारी निदेशक	37400—67000	9500	1
3.	महाप्रबंधक (प्रशासन)	37400—67000	8700	1
4.	महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) वित्तिय सलाहकार, R.Ac.S	37400—67000	8700	1
5.	महाप्रबंधक (ऑपरेशन) वित्तिय सलाहकार, R.Ac.S	37400—67000	8700	1
6.	उप महाप्रबंधक	15600—39100	6600 (17)	2
7.	मैनेजर	15600—39100	5400 (15)	8
8.	कम्पनी सैकेट्री/पार्ट टाईम	—	—	1
9.	सहा. प्रबन्धक	9300—34800 पे बैन्ड—1	4200 (13)	4
10.	डिपो मैनेजर	9300—34800 पे बैन्ड—1	3600 (12) 4200 (13)	42
11.	लेखाकार	9300—34800 पे बैन्ड—1	4200 (13)	3
12.	निजी सहायक/निजी सचिव	9300—34800 पे बैन्ड—1	3600 (12)	5
13.	क0 लेखाकार	9300—34800 पे बैन्ड—1	3600 (12)	48

14.	सुपरवाईजर / क0 लिपिक	5200 20200 पे बैण्ड 1	1900 (6)	86
15.	मंत्रालयिक कर्म0 (व0 लिपिक / क0 लिपिक)	5200 20200 पे बैण्ड 1	2400 (9) 1900 (6)	10 (मुख्यालय) नवसृजित
16.	सूचना सहायक	5200 20200 पे बैण्ड 1	2400 (9)	10 (मुख्यालय) नवसृजित
17.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4750 7440—15	1300 (1)	9
	कुल			233

3. **न्यायिक प्रकरणों की स्थिति :—**

3.1 निगम के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन लम्बित प्रकरणों को निगम मुख्यालय पर स्थापना शाखा द्वारा सुपरविजन किया जाता है साथ ही ऐसे प्रकरणों की समीक्षा संयुक्त विधि परामर्शी (विधि प्रकोष्ठ) वित्त विभाग द्वारा की जाती है। निगम से सम्बन्धित सभी प्रकरणों को न्याय विभाग की अधिकृत वेबसाईट 'लाईट्स' में लगातार अपडेट एवं वेलीडेट किया जाता है।

3.2 दिनांक 31.12.13 को लम्बित न्यायिक प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है:—

क्रसं.	प्रकरणों का विवरण	न्यायालय						
		उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय जयपुर, जोधपुर में विचाराधीन		सिविल सेवा अधिकरण		अधीनस्थ, श्रम, उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय	योग
			जयपुर	जोधपुर	जयपुर	जोधपुर		
1.	विचाराधीन / ड्यू कॉर्स	शून्य	4	3	—	—	6	13
2.	जवाब पेश करना शेष	—	—	1	—	—	—	1
3.	निर्णय की कियान्विति	—	—	—	—	—	—	
4.	अवमानना प्रकरण	—	—	—	—	—	—	—

4. **अन्य प्रमुख बिन्दु :—**

4.1 वित्तीय वर्ष 2005—06 में निगम के 105 थोक विक्रेताओं के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2013—14 में निगम ने 39 निर्माताओं एवं लगभग 7300 खुदरा व्यापारियों से सीधे व्यवसाय किया है।

4.2 वित्तीय वर्ष 2006—07 से निगम की समस्त व्यावसायिक गतिविधियां ऑन—लाईन हो गई है जिसमें वैब आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग हो रहा है। संबंधित निर्माताओं / सप्लॉयर को साफ्टवेयर एक्सेस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिसके तहत आपूर्ति के आदेश, डिपो पर माल प्राप्ति, उनके उत्पादों की बिकी और सप्ताह के दौरान प्राप्त होने वाले भुगतान के विवरण का आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सीधे अवलोकन किया जा सकता है।

52

4.3 खुदरा अनुज्ञाधारियों को एकल खिड़की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा निगम के डिपो प्रबंधकों को इनवाईस कम ट्रान्सपोर्ट परमिट जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।

4.4 परमिट शुल्क, वेण्ड शुल्क/सरचार्ज आदि आबकारी विभाग के लिए निगम द्वारा एकत्र कर राज्य सरकार को जमा करवाया जाता है।

5. निगम का टर्नओवर (Turn over) :-

निगम के प्रारंभिक वर्ष 2005-06 में बिक्री 734.19 करोड रु. थी जो कि 2012-13 तक बढ़कर 3122.12 करोड रु. हो गयी तथा वर्ष 2013-14 (दिसम्बर 2013 तक) के दौरान बिक्री राशि रु. 2701.32 करोड है, जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	वार्षिक बिक्री (राशि करोडो में)	% वृद्वि
2005-06	734.19	-
2006-07	1003.07	36.62
2007-08	1302.72	29.87
2008-09	1597.54	22.63
2009-10	1569.47	(-) 1.75
2010-11	1842.29	17.38
2011-12	2572.40	39.63
2012-13	3122.12	21.36
2013-14 (दिसम्बर-13)	2701.32	-

6. निगम का वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं माह अप्रेल से दिसम्बर 2013 तक का मदवार आय एवं व्यय विवरण :-

6.1 निगम के वास्तविक व्यय के आधार पर आय व्यय विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि लाख में)

आय मद	2012-13 (वास्तविक)	2013-14 (प्रोविजनल) (दिसम्बर, 13 तक)
सकल आय	6158.25	940.86
ब्याज	1390.80	805.18
डेमरेज की आय	428.52	226.23
अन्य आय	92.40	93.76
	8069.97	2066.03
व्यय मद		
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	1310.42	786.12
प्रबन्धकीय पारिश्रमिक	12.58	9.00
वित्तीय व्यय		
ह्रास	51.44	-
राज्य सरकार को प्रदत्त /देय प्रिविलेज फीस	1900.00	-
राज्य सरकार को प्रदत्त लाईसेंस फीस	4378.90	229.00
पूर्व वर्षो के व्यय	- 56.56	0.47
	7596.78	1024.59
लाभ	473.19	1041.44

7. ई–गवर्नेंस :

7.1 निगम में कम्प्यूटराईजेशन 1 अप्रैल, 2006 से लागू किया जा चुका है। इस हेतु निगम मुख्यालय तथा समस्त डिपो पर कम्प्यूटर मय प्रिंटर, यू.पी.एस., इन्टरनेट कनैक्टिविटी, इनवर्टर्स व जेनरेटर सहित उपलब्ध है। निगम अपने व्यवसायिक कार्य इन्टिग्रेटेड वेब बेस्ड ऑन–लाईन सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित कर रहा है। उक्त सॉफ्टवेयर द्वारा निम्न लिखित कार्य सम्पादित किये जा रहे है :

7.2 डिपो स्तर पर सम्पादित किये जाने वाले कार्य :–

i मदिरा स्टॉक का संधारण।
ii प्रतिदिन प्राप्त होने वाली मदिरा का स्टॉक में इन्द्राज।
iii लाईसेंसी द्वारा प्रस्तुत बैंक चालान का इन्द्राज।
iv लाईसेंसी की मांग के अनुसार 'इन्वाइस कम ट्रांसपोर्ट पास' जारी करना।
v. दिन–प्रतिदिन की क्षति का इन्द्राज।
vi. बैंक चालान का अंक मिलान कर बैंक समाशोधन।
vii. प्रत्येक लाईसेंसी के लेजर का संधारण।
viii मदिरा का अन्तर–डिपो ट्रांसफर।

7.3 मुख्यालय स्तर पर संधारित होने वाले कार्य :–

i. मदिरा आपूर्ति हेतु डिजिटल हस्ताक्षरित आदेश (OFS) ऑन लाईन जारी करना।
ii. मदिरा के अन्तर–डिपो ट्रांसफर हेतु हस्ताक्षरित आदेश (TOO) ऑनलाईन जारी करना।
iii क्रय आदेशों का ऑनलाईन अवधि विस्तार करना।
iv. मदिरा की बिक्री उपरान्त सप्लायर को किये जाने वाले साप्ताहिक भुगतान का विवरण पत्र।
v. लाईसेंसियों से प्राप्त स्त्रोत से कर संग्रहण (TCS) की संकलित सूचना प्राप्त कर आयकर विभाग में मासिक जमा कराना।
vi. लाईसेंसियों से प्राप्त वेट राशि की संकलित सूचना प्राप्त कर वाणिज्य कर विभाग में मासिक जमा कराना।
vii. लाईसेंसियों से प्राप्त आबकारी शुल्क (परमिट फीस, वेन्ड फीस तथा स्पेशल वेन्ड फीस) की संकलित सूचना प्राप्त कर आबकारी विभाग में जमा कराना।
viii. निगम के बैंको से प्रतिदिन ई–मेल प्राप्त होने वाली निगम खाते में जमा की सूचना को सॉफ्टवेयर में अपलोड करना ताकि डिपो बैंक समाशोधन हेतु सूचना प्राप्त कर सके।
ix. इनएक्टिव स्टॉक पेनल्टी की गणना कर सप्लायरों से वसूली करना।

7.4 सप्लायरों को निम्नलिखित सूचनाऐं उपलब्ध है :–

i. सप्लायर आपूर्ति के आदेश (OFS) हेतु ऑन लाइन आवेदन तथा अनुमोदित आपूर्ति के आदेश (OFS) को प्रिंट करते हैं।
ii. सप्लायर ट्रांसफर आउट ऑर्डर (TOO) हेतु ऑन लाइन आवेदन तथा अनुमोदित ट्रासफर आउट ऑर्डर को प्रिंट (TOO) करते हैं।
iii. उनके स्टॉक की डिपोवार सूचना।
iv. उनके ब्राण्डों की डिपोवार बिक्री की सूचना।
v. उन्हें जारी होने वाले आपूर्ति के आदेश (OFS) की सूचना।
vi. उन्हें जारी होने वाले ट्रांसफर आउट ऑर्डर (TOO) की सूचना।
vii. विभिन्न डिपो पर उनके ब्राण्डों की आवक की सूचना।
viii. उनके लेजर की सूचना।

7.5 लाइसेंसी उक्त सॉफ्टवेयर का निम्न कार्यों हेतु उपयोग करते हैं:

i. इन्टरनेट बैकिंग के माध्यम से ऑन लाइन निगम खाते में राशि जमा कर ई--चालान प्राप्त करना ।

7.6 आबकारी विभाग, राजस्थान राज्य गंगानगर शूगर मिल लिमिटेड (RSGSM) तथा राजस्थान राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड (RSBCL) तीनो हेतु एक ही इन्टीग्रेटेड ऑनलाईन सॉफ्टवेयर विकसित कर स्थापित किया जा चुका है। इन्टीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के स्थापित होने से तीनो विभागों को एक दूसरे से सम्बन्धित सूचनाऐं एक क्लिक पर उपलब्ध हैं। इसी प्रकार राज्य सरकार को भी एक क्लिक पर तीनो विभागों की सूचनाऐं प्राप्त हो सकती हैं।

7.7 इन्टीग्रेटेड सॉफ्टवेयर हेतु अन्य कार्यो सहित निम्नलिखित प्रमुख कार्य किये जा चुके है :–

i. आबकारी आयुक्त कार्यालय, उदयपुर में एक डाटा सेन्टर स्थापित कर वहॉ से सॉफ्टवेयर चलाया जा रहा है।

ii. सेवा प्रदाता द्वारा सॉफ्टवेयर का प्रबन्धन तथा साज–संभाल की सेवाऐ की जा रही है।

7.8 अधिकृत बैकों के सॉफ्टवेयरों से इन्टीग्रेटेड साफ्टवेर र का समन्वय किया गया है इससे लाईसेन्सी ऑनलाईन भुगतान कर सकते है। लाईसेन्सियों द्वारा चालान के माध्यम से बैकों में जमा कराई गई राशि की सूचना संबंधित डिपो पर ऑनलाईन ही प्रदर्शित हो जाती है।

7.9 सॉफ्टवेयर से एस.एम.एस. तथा ई–मेल द्वारा जहॉ आवश्यक है संबंधितों को आवश्यक सूचनाऐं प्रेषित की जाती है।

8 <u>निगम की मदिरा बिक्री का तुलनात्मक विवरण:--</u>

8.1 वित्तीय वर्ष 2012–13 की तुलना में वर्ष 2013--14 (दिसम्बर 13 तक) के दौरान भा.नि.वि.म. एवं बीयर के कॉर्टन बॉक्स की ब्रिकी में कमशः 16.4% एवं 5.5% की वृद्वि हुई है। माहवार विवरण निम्नानुसार है:–

मात्रा (लाख केसेज)

माह	2012–13		2013–14 (दिसम्बर 2013 तक)		वृद्वि / कमी (प्रतिशत में)	
	बीयर	आईएमएफएल	बीयर	आईएमएफएल	बीयर	आईएमएफएल
अप्रेल	18.72	7.77	18.57	7.82	-0.8%	0.6%
मई	21.32	7.71	29.65	9.66	39.1%	25.3%
जून	20.87	7.41	23.82	8.57	14.1%	15.7%
जुलाई	16.47	6.82	18.70	7.97	13.5%	16.9%
अगस्त	11.78	6.17	14.61	8.08	24.0%	31.0%
सितम्बर	11.05	6.60	14.64	7.96	32.5%	20.6%
अक्टूबर	12.24	7.79	14.95	9.15	22.1%	17.5%
नवम्बर	10.72	7.44	14.26	10.08	33.0%	35.5%
दिसम्बर	11.13	9.47	11.74	11.02	5.5%	16.4%
जनवरी	8.82	8.87				
फरवरी	10.79	7.78				
मार्च	20.55	10.06				
योग	174.46	93.89	160.94	80.31		

8.2 निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2012—13 में इसी अवधि के दौरान 1520.40 करोड़ रु. के विरुद्ध 2013—14 (दिसम्बर 13 तक) में 1806.60 करोड़ रु. का आबकारी शुल्क, विदेशी मदिरा व बीयर के ओ0एफ0एस0 जारी करने के परिणामस्वरूप एकत्र किया गया है। इस मद में 18.82% की वृद्धि हुई है। विवरण निम्नानुसार है:-

निर्गमित बीयर की आपूर्ति के आदेश

(केसेज लाख में)

माह	माह के दौरान			माह तक		
	12—13	13—14 (दिसम्बर,13 तक)	वृद्धि %	12—13	13—14 (दिसम्बर,13 तक)	वृद्धि %
अप्रैल	22.22	23.37	5.18	22.22	23.37	5.18
मई	22.32	29.90	33.96	44.54	53.27	19.60
जून	19.33	23.04	19.19	63.87	76.31	19.48
जुलाई	15.55	18.89	21.48	79.42	95.20	19.87
अगस्त	13.44	14.34	6.70	92.86	109.54	17.96
सितम्बर	10.98	12.15	10.66	103.84	121.69	17.19
अक्टूबर	13.72	16.49	20.19	117.56	138.18	17.54
नवम्बर	12.98	15.42	18.80	130.54	153.60	17.67
दिसम्बर	10.67	11.45	7.31	141.21	165.05	16.88
जनवरी	9.48			150.69		
फरवरी	12.74			163.43		
मार्च	18.14			181.57		

निर्गमित भारत निर्मित विदेशी मदिरा की आपूर्ति के आदेश

(केसेज लाख में)

माह	माह के दौरान			माह तक		
	12—13	13—14 (दिसम्बर,13 तक)	वृद्धि %	12—13	13—14 (दिसम्बर,13 तक)	वृद्धि %
अप्रैल	9.96	10.06	1.00	9.96	10.06	1.00
मई	8.18	9.71	18.70	18.14	19.77	8.99
जून	7.90	8.21	3.92	26.04	27.98	7.45
जुलाई	6.60	7.94	20.30	32.64	35.92	10.05
अगस्त	6.29	7.88	25.28	38.93	43.80	12.51
सितम्बर	6.92	7.78	12.43	45.85	51.58	12.50
अक्टूबर	7.52	9.42	25.27	53.37	61.00	14.30
नवम्बर	10.08	10.51	4.27	63.45	71.51	12.70
दिसम्बर	9.76	11.42	17.01	73.21	82.93	13.28
जनवरी	8.73			81.94		
फरवरी	7.39			89.33		
मार्च	8.66			97.99		